उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।

परिपत्र संख्या- सी-70 /तक0प्रकोष्ठ/मृ0प0लै/17-18 दिनाँक: 14-12-2017

समस्त शाखा प्रबन्धक

उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,

उत्तर प्रदेश।

विषय-राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना के अधीन जैव कृषि के वाणिज्य उत्पादन इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना- राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (स्थिर/चल)/मिनी प्रयोगशालाओं और ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण परियोजनाओं को योजना से हटाना।

प्रधान कार्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-सी-25/तक0प्रकोष्ठ/मृ0प0लै0/2017-18 दिनाँक 26.05.2017 का सन्दर्भ लें जिसके द्वारा राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना के अन्तर्गत जैव कृषि की वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयों के लिए पूँजी निवेश सब्सिडी योजना-मृदा परीक्षण लैब (एक स्थान पर/मोबाइल) मिनी लैब की स्थापना और ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण परियोजनाओं का शामिल करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के सन्दर्भ में नाबार्ड ने अपने पत्रॉक राबै.डीओआर.जीएसएस./2563/मृदापरीक्षण लैब/2017-18 दिनॉक 09 नवम्बर,2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं पर पूँजी निवेश सब्सिडी योजना के स्थान पर ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करेगी। इस लिए आगे सूचना प्राप्त होने तक राष्ट्रीय जैव कृषि योजना परियोजना में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के घटक को लागू नहीं माना जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि नाबार्ड के उक्त पत्रानुसार उक्त मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के घटक में अग्रिम आदेशों तक ऋण वितरण कदापि न किया जाय।

(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि- निम्नॉकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1). समस्त जनपदीय प्रबन्धक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रतियॉ अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(2). उप महाप्रबन्धक(आई0टी0सेल),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को ई0-मेल द्वारा समस्त जनपदीय शाखाओं को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(3). महाप्रबन्धक,राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,प्लाट नं0 सी-24,जी ब्लाक,बॉन्द्रा कुर्ला-काम्पलेक्स,बॉन्द्रा (पूर्व),मुम्बई-400051 को उनके पत्रॉक राबै.डीओआर.जीएसएस./2563 / मृदापरीक्षणलैब/2017-18 दिनॉक 09नवम्बर,2017 के क्रम में सूचनार्थ।

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक (तकनीकी)